

31-5-18 पञ्जावती आज डैम कोर्ट नेवरी में पेश
हुयी प्रकर ल खंखेयत वाड पश में विधिवत
विभाजन हेतु जायगिर डिडी पारिस हो चुकी हो
तथा प्रकर में विभाजन प्रस्ताव ज्ञान हो
लेकि विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप आंतेम
डिडी पारिस होने तर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
प्राची रहेगा। तदपीछदार उदरपुरवाही जायगिर
डिडी ही पालन के लिये स्वतंत्र रहेगे।
पञ्जावती कंसल अमार होकर नम्बर ल
कम हो तथा वाखिल दफ्तर हो।